

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक एफ 5-20/2022/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/02/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं वन बल प्रमुख,  
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.895 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।  
2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।  
3. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-20/2022/10-2, दिनांक 29.12.2022।  
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-889/199, दिनांक 23.01.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

**तालिका**

| क्र. | जिला  | प्रभावित वनमंडल का नाम | प्रभावित परिक्षेत्र का नाम | प्रभावित वनखंड का नाम | प्रभावित वनभूमि का प्रकार | वन कक्ष क्र. | लंबाई (कि.मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
|------|-------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1    | 2     | 3                      | 4                          | 5                     | 6                         | 7            | 8              | 9            | 10              |
| 1    | बालोद | बालोद                  | लोहारा                     | संजारी                | आरक्षित वनभूमि            | 201          | 1.000          | 0.500        | 0.050           |
| 2    |       |                        | लोहारा                     | रायगढ़                | आरक्षित वनभूमि            | 191          | 0.960          | 0.500        | 0.048           |
| 3    |       |                        | लोहारा                     | रायगढ़                | आरक्षित वनभूमि            | 192          | 0.380          | 0.500        | 0.019           |
| 4    |       |                        | लोहारा                     | भेजरापठार             | आरक्षित वनभूमि            | 193          | 1.060          | 0.500        | 0.053           |
| 5    |       |                        | लोहारा                     | भेजरापठार             | आरक्षित वनभूमि            | 194          | 2.860          | 0.500        | 0.143           |
| 6    |       |                        | लोहारा                     | गुरामी                | आरक्षित वनभूमि            | 173          | 0.680          | 0.500        | 0.034           |
| 7    |       |                        | दल्ली                      | झिंकाटोला             | आरक्षित वनभूमि            | 180          | 0.440          | 0.500        | 0.022           |
| 8    |       |                        | खडगांव                     | हितकसा                | आरक्षित वनभूमि            | 170          | 1.260          | 0.500        | 0.063           |
| 9    |       |                        | बालोद                      | बोरिद                 | आरक्षित वनभूमि            | 92           | 1.300          | 0.500        | 0.065           |
| 10   |       |                        | बालोद                      | दर्ईहान               | आरक्षित वनभूमि            | 96           | 2.760          | 0.500        | 0.138           |
| 11   |       |                        | बालोद                      | रानीतराई              | आरक्षित वनभूमि            | 99           | 2.500          | 0.500        | 0.125           |
| 12   |       |                        | दल्ली                      | गोटूलमुण्डा           | आरक्षित वनभूमि            | 144          | 0.700          | 0.500        | 0.035           |
| 13   |       |                        | गुरुर                      | जगतारा                | आरक्षित वनभूमि            | 3            | 5.840          | 0.500        | 0.292           |

| क्र.                     | जिला  | प्रभावित वनमंडल का नाम | प्रभावित परिक्षेत्र का नाम | प्रभावित वनखंड का नाम | प्रभावित वनभूमि का प्रकार | वन कक्ष क्र. | लंबाई (कि.मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 14                       | बालोद | बालोद                  | गुरुर                      | नाईकुरा               | आरक्षित वनभूमि            | 16           | 1.200          | 0.500        | 0.060           |
| 15                       |       |                        | गुरुर                      | कराझर                 | आरक्षित वनभूमि            | 20           | 4.960          | 0.500        | 0.248           |
| 16                       |       |                        | गुरुर                      | मुजालगोंदी            | आरक्षित वनभूमि            | 19           | 0.660          | 0.500        | 0.033           |
| 17                       |       |                        | दल्ली                      | आमाबहरा               | आरक्षित वनभूमि            | 77           | 0.620          | 0.500        | 0.031           |
| 18                       |       |                        | दल्ली                      | आमाबहरा               | आरक्षित वनभूमि            | 79           | 1.680          | 0.500        | 0.084           |
| 19                       |       |                        | दल्ली                      | आमाबहरा               | आरक्षित वनभूमि            | 56           | 0.720          | 0.500        | 0.036           |
| 20                       |       |                        | दल्ली                      | आमाबहरा               | आरक्षित वनभूमि            | 82           | 1.900          | 0.500        | 0.095           |
| 21                       |       |                        | दल्ली                      | सिंघोला               | आरक्षित वनभूमि            | 83           | 1.620          | 0.500        | 0.081           |
| 22                       |       |                        | दल्ली                      | पुतरवाही              | आरक्षित वनभूमि            | 85           | 1.600          | 0.500        | 0.08            |
| 23                       |       |                        | दल्ली                      | पुतरवाही              | आरक्षित वनभूमि            | 86           | 3.600          | 0.500        | 0.180           |
| 24                       |       |                        | दल्ली                      | पुतरवाही              | आरक्षित वनभूमि            | 118          | 0.180          | 0.500        | 0.009           |
| 25                       |       |                        | डौंडी                      | पुतरवाही              | आरक्षित वनभूमि            | 110          | 1.260          | 0.500        | 0.063           |
| 26                       |       |                        | डौंडी                      | पुतरवाही              | आरक्षित वनभूमि            | 122          | 2.420          | 0.500        | 0.121           |
| 27                       |       |                        | डौंडी                      | चिहारो                | आरक्षित वनभूमि            | 123          | 1.240          | 0.500        | 0.062           |
| 28                       |       |                        | डौंडी                      | चिहारो                | आरक्षित वनभूमि            | 124          | 1.200          | 0.500        | 0.060           |
| 29                       |       |                        | डौंडी                      | शेरपर                 | आरक्षित वनभूमि            | 164          | 0.700          | 0.500        | 0.035           |
| 30                       |       |                        | डौंडी                      | अंगारा                | आरक्षित वनभूमि            | 163          | 0.980          | 0.500        | 0.049           |
| 31                       |       |                        | लोहारा                     | जाटाडाह               | आरक्षित वनभूमि            | 172          | 0.920          | 0.500        | 0.046           |
| 32                       |       |                        | लोहारा                     | जाटाडाह               | आरक्षित वनभूमि            | 176          | 0.100          | 0.500        | 0.005           |
| 33                       |       |                        | लोहारा                     | बकाली टोला            | आरक्षित वनभूमि            | 177          | 0.440          | 0.500        | 0.022           |
| आरक्षित वनभूमि का योग -  |       |                        |                            |                       |                           |              | 49.740         | 0.5          | 2.487           |
| 34                       |       |                        | लोहारा                     | मात्री                | संरक्षित वनभूमि           | P307         | 0.420          | 0.500        | 0.021           |
| 35                       |       |                        | बालोद                      | बनगांव                | संरक्षित वनभूमि           | P257         | 0.700          | 0.500        | 0.035           |
| 36                       |       |                        | बालोद                      | मालगांव               | संरक्षित वनभूमि           | P251         | 1.040          | 0.500        | 0.052           |
| 37                       |       |                        | डौंडी                      | धोर्रीटेमा            | संरक्षित वनभूमि           | P267         | 1.640          | 0.500        | 0.082           |
| 38                       |       |                        | डौंडी                      | आमाडूला               | संरक्षित वनभूमि           | P263         | 0.880          | 0.500        | 0.044           |
| 39                       |       |                        | दल्ली                      | गिधाली                | संरक्षित वनभूमि           | 291          | 0.200          | 0.500        | 0.010           |
| संरक्षित वनभूमि का योग - |       |                        |                            |                       |                           |              | 4.880          | 0.5          | 0.244           |
| क्र.                     | जिला  | प्रभावित वनमंडल का नाम | तहसील का नाम               | ग्राम का नाम          | प्रभावित भूमि का प्रकार   | खसरा क्र.    | लंबाई (कि.मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
| 1                        | बालोद | बालोद                  | डौंडीलोहारा                | पडवा पथरा             | राजस्व वनभूमि             | 562          | 0.040          | 0.500        | 0.002           |
| 2                        |       |                        | डौंडीलोहारा                | पडवा पथरा             | राजस्व वनभूमि             | 553          | 0.080          | 0.500        | 0.004           |
| 3                        |       |                        | डौंडीलोहारा                | गुरामी                | राजस्व वनभूमि             | 43/403       | 0.140          | 0.500        | 0.007           |
| 4                        |       |                        | डौंडीलोहारा                | बिटाल                 | राजस्व वनभूमि             | 184          | 1.100          | 0.500        | 0.055           |
| 5                        |       |                        | डौंडीलोहारा                | हितकसा                | राजस्व वनभूमि             | 143          | 0.080          | 0.500        | 0.004           |

| क्र.                   | जिला | प्रभावित वनमंडल का नाम | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | प्रभावित भूमि का प्रकार | खसरा क्र. | लंबाई (कि.मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
|------------------------|------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| 6                      |      |                        | डौंडी        | गोटूलमुण्डा  | राजस्व वनभूमि           | 82/1      | 0.380          | 0.500        | 0.019           |
| 7                      |      |                        | डौंडी        | गोटूलमुण्डा  | राजस्व वनभूमि           | 68/1      | 0.080          | 0.500        | 0.004           |
| 8                      |      |                        | डौंडी        | मलकुंवार     | राजस्व वनभूमि           | 263/1     | 0.060          | 0.500        | 0.003           |
| 9                      |      |                        | डौंडी        | नर्राटोला    | राजस्व वनभूमि           | 411/1     | 0.100          | 0.500        | 0.005           |
| 10                     |      |                        | डौंडी        | खैरवाही      | राजस्व वनभूमि           | 348       | 0.260          | 0.500        | 0.013           |
| 11                     |      |                        | डौंडी        | ऑराटोला      | राजस्व वनभूमि           | 74/1      | 0.500          | 0.500        | 0.025           |
| 12                     |      |                        | डौंडी        | अवारी        | राजस्व वनभूमि           | 198/1     | 0.140          | 0.500        | 0.007           |
| 13                     |      |                        | डौंडीलोहारा  | सिवानी       | राजस्व वनभूमि           | 10        | 0.060          | 0.500        | 0.003           |
| 14                     |      |                        | डौंडीलोहारा  | सिवानी       | राजस्व वनभूमि           | 338       | 0.060          | 0.500        | 0.003           |
| 15                     |      |                        | डौंडीलोहारा  | सिवानी       | राजस्व वनभूमि           | 607       | 0.120          | 0.500        | 0.006           |
| 16                     |      |                        | डौंडीलोहारा  | सिवानी       | राजस्व वनभूमि           | 617       | 0.020          | 0.500        | 0.001           |
| 17                     |      |                        | डौंडीलोहारा  | जाटाडाह      | राजस्व वनभूमि           | 57        | 0.040          | 0.500        | 0.002           |
| 18                     |      |                        | डौंडी        | गिधाली       | राजस्व वनभूमि           | 117       | 0.020          | 0.500        | 0.001           |
| राजस्व वनभूमि का योग - |      |                        |              |              |                         |           | 3.280          | 0.5          | 0.164           |
| कुल योग                |      |                        |              |              |                         |           | 57.9 K.M.      | 0.5          | 2.895           |

उक्त 57.9 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.895 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 2.487 हे. संरक्षित वन भूमि 0.244 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.164 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage -II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।


nsjrl

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

  
(के.पी.राजपूत)  
अवर सचिव

  
छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/02/2023

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-20/2022/10-2  
प्रतिलिपि :-

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
  3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
  4. वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद, छत्तीसगढ़।
  5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड़डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

  
छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

4/1